प्रकरण सं. .....

उनवान

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
16/2/26	पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 9/3/26 को पेश हो। उपनिबंधक
9/3/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप० पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 27/3/26 को पेश हो
27/3/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप० पत्रावली साबिक आदेश में दिनांक 1/4/26 को पेश हो
1/4/26	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप० प्रार्थी द्वारा अपील सं. 2, 5 व 6 की तामीली हेतु सम्मन पेश नहीं। प्रार्थी को अपीलीगण की तामीली हेतु सम्मन पेश करने के लिये पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी सम्मन पेश नहीं करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 कारतूसी अधिनियम आदेश 9 नियम 5 सा०दी० में खारीज किया जाता है निर्णय मेरे इजलास सुनाया पत्रावली बेसल शुमार लेकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो। सहायक कलक्टर नीलवाड़